bZ&xousZal lkslkbZVh iathdj.k ,oa ykbZlsaflax izkf/kdj.k ¼vkj0 ,y0 ,0½ Hkksjat] ftyk gehjiqj ds mi;ksDrk izHkkj fuf/k ys[kksa dk vads{k.k

izfrosnu

vof/k 8-1-2008 ls 3@2014

Hkkx&,d

1 izkjfEHkd%&

¼i½ हिमाचल प्रदेष सरकार, परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्या TPT-F (1)-3/2000-e-Goverenance दिनाँक 3.9.2005 के दृष्टिगत ई–गवर्नैन्स सोसाईटी, पंजीकरण एवं लाईसैंसिंग प्राधिकरण (आर0 एल0 ए0) भोंरन्ज, ज़िला हमीरपुर के अवधि 8.1.2008 से 3/2014 के उपयोक्ता प्रभार निधि लेखों का प्रथम अंकेक्षण, इस विभाग के श्री अजीत सिंह अनुभाग अधिकारी व श्री नरेन्द्र कुमार आर्टिकल सहायक द्वारा दिनाँक 2.7.2014 से 14.7.2014 के दौरान भोरन्ज में किया गया, जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में वर्णित है।

¼ii½ vads{k.k vof/k ds nkSjku iathdj.k ,oa ykbZlsaflax izkf/kdj.k Hkksjat esa fuEufyf[kr vf/kdkfj;ksa us vkgj.k ,oa forj.k vf/kdkjh ds :i esa dk;Z fd;k

Øe0 l0	vf/kdkjh dk uke	vof/k
1	श्री सतीष षर्मा	18.1.2008 से 27.2.2008
2	श्री बलवीर ठाकुर	28.2.2008 से 31.1.2009
3	श्री रोहित जम्बाल	23.2.2009 से 4.10.2009
4	श्री यषपाल सिंह वर्मा	5.10.2009 से 03.5.2012
5	श्री सुखदेव सिंह	26.5.2012 से 24.9.2012
6	श्री बच्चन सिंह	24.9.2012 से 28.3.2013
7	श्री बलवान चन्द	28.3.2013 से अद्यन तक

¼iii½ fuf/k ys[kkvksa dh foLr`r tkap gsrq fuEufyf[kr ekl dk p;u fd;k x;k

o"kZ	vk;	O;;
2007–08	03/2008	–
2008–09	01/2009	02/2009
2009–10	01/2010	07/2009
2010–11	11/2010	11/2010
2011–12	07/2011	11/2011

2012–13	11/2012	02/2013
2013–14	02/2014	01/2014

¼**iv**½ xEHkhj vfu;ferrkvksa dk lkj%&

Ø0 l0	ijk l[;k	vfu;ferrk dk lf{kIr fooj.k	jkf'k yk[kksa e
1	6 (क)	सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति लिये बिना वातानुकुलित मषीन (AC) खरीदने बारे	0.24
2	8	कुर्सियों की मुरम्मत पर अनुचित व्यय	0.15
3	9	बिजली के बिल की वास्तविक खपत न दर्षाकर औसतन आधार पर भुगतान करना	0.16
4	10	वाहन चालक के वेतन पर अनुचित व्यय	0.69

¼**v**½ इस अंकेक्षण प्रतिवेदन को ई–गवर्नैंस सोसाईटी, पंजीकरण एवं लाईसैंस प्राधिकरण (आर0 एल0 ए0) भोरन्ज द्वारा उपलब्ध करवाए गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर तैयार किया गया है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग उक्त संस्था द्वारा उपलब्ध करवाई गई किसी भी गलत सूचना अथवा सूचना जो उपलब्ध नहीं की गई है, की जिम्मेवारी लेने से इन्कार करता हैं।

2 vads{k.k 'kqYd%&

ई–गवर्नैंस सोसाईटी, पंजीकरण एवं लाईसैंस प्राधिकरण (आर0 एल0 ए0) भोरन्ज, के अवधि 1/2008 से 3/2014 के उपयोक्ता प्रभार निधि लेखों के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण षुल्क ₹8800/– बनता है। उक्त राषि को रेखाँकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेषक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेष, षिमला–9 के नाम भेजने हेतु अनुभाग अधिकारी (ले0प0) द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 313 दिनाँक 14.7.2014 के अन्तर्गत उप मण्डलाधिकारी (नागरिक) भोरन्ज से अनुरोध किया गया।

3 foÙkh; fLFkfr%&

¼**i**½ ई–गवर्नैंस सोसाईटी, पंजीकरण एवं लाईसैंस प्राधिकरण (आर0 एल0 ए0) भोरन्ज द्वारा प्रस्तुत प्राधिकरण के उपयोगिता प्रभार निधि लेखों की अंकेक्षणाधीन अवधि की प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण ifjf'k"V **"d"** पर भी दिया गया है।

fooj.k	2007&08	2008&09	2009&10	2010&11	2011&12	2012&13	2013&14

अथषेष	—	18710	125852	252516	457751	81797	53459
आय	18710	174053	250407	305523	324172	327606	412146
योग	18710	192763	376259	558039	781923	409403	465605
व्यय	—	66911	123743	100288	700126	355944	341931
अन्तिम षेष	18710	125852	252516	457751	81797	53459	123674
रोकड़ बही के अनुसार अन्तिम षेष	18710	124621	246218	440670	51804	19758	86314

उपरोक्त विवरणानुसार दर्षाया गया अन्तर बैंक से प्राप्त ब्याज को रोकड़ बही में जमा न करने के कारण था इसके अतिरिक्त वर्ष 2011—12 में 2040 का अन्तर प्राप्त आय को रोकड़ बही के योग में जमा न करने के कारण भी पाया गया था जिसका कि माह 5/12 को समायोजन कर लिया गया था।

¼ii½ mi;kDrk iHkkj fuf/k dh fnukd 31-3-2014 dk cd lek/kku fooj.k½&

दिनाँक 31.3.2014 को रोकड़ बही का अन्तिम षेष	86314
(+) बैंक से अर्जित ब्याज जिसे रोकड़ बही में जमा नहीं किया है (अवधि 8/2008 से 3/2014 के दौरान अर्जित ब्याज का विवरण ifjf'k"V "d&1" में दिया गया है)	37360
(+) भुगतान हेतु जारी चैक जिनका 31.3.2014 तक आहरण नहीं किया गया था	
(1) चैक संख्या 482300 दिनाँक 28.3.2014= 2500	
(2) चैक संख्या 899222 दिनाँक 28.3.14= 7430	9930
	133604
(—) दिनाँक 27.3.2014 को बैंक द्वारा काटा गया बैंक प्रभार जिन्हें रोकड़ बही में दर्ज नहीं किया है	6
यूको बैंक खाता संख्या 104100100011255 भोरन्ज में दिनाँक 31.3.2014 को जमा राषि	133598

¼iii½ jkdM cgh o cd [kkrk dk ekgokj feyku u dju ckj½&

अवधि 1/2008 से 3/2014 की उपयोक्ता प्रभारों की रोकड़ बही के अवलोकन करने पर पाया गया कि पंजीकरण एवं लाईसैंसिंग प्राधिकरण, भोरन्ज द्वारा रोकड़ बही व बैंक खातों का माहवार मिलान नहीं किया गया है जो एक गम्भीर अनियमितता है। अतः अनुपालना हेतु परामर्ष दिया जाता है कि भविष्य में प्रत्येक मासांत में कुल आय—व्यय का सारांष तैयार करके रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान किया जाना सुनिष्चित किया जाए।

4 bl&xoul l dUnh; bdkbl gehjiij e ¼vkj0 ,y0 ,0½ HkkjUt l ikIr dh xbl ₹100000 dk feyku u djuk&

ई–गवर्नैस केन्द्रीय ईकाई हमीरपुर के अवधि 7/2006 से 3/2013 के अंकेक्षण के दौरान उक्त ईकाई द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं के अनुसार पाया गया कि माह 5/11 में उक्त ईकाई द्वारा पंजीकरण एवं लाईसैंसिंग प्राधिकरण भोरन्ज से ₹100000/– प्राप्त की गई दर्षाई है जबकि पंजीकरण एवं लाईसैंसिंग प्राधिकरण, भोरन्ज के खातों की जाँच करने पर पाया गया कि इस राषि का बैंक खातों से आहरण नहीं किया गया था। अतः ई–गवर्नैंस हमीरपुर (केन्द्रीय ईकाई) व पंजीकरण एवं लाईसैंसिंग प्राधिकरण, भोरन्ज के उपयोक्ता प्रभार निधि लेखों का मिलान करके तथा निधि लेखों की उक्त राषि की प्राप्त के स्त्रोत बारे वास्तविक स्थिति से अंकेक्षण को यथाषीध्र अवगत करवाया जाना सुनिष्चित किया जाए।

5 l{ke vf/kdkjh dh Lohdfr d fcuk okrkudfyr e'khu@midj.k dk Hkxrku djuk rFkk inŸk foŸkh; 'kfDr;k l vf/kd fd, x, 0;; dk l{ke ikf/kdkjh dh Lohdfr l fu;fer u djokuk&

¼i½ ई–गवर्नैंस निधि नियम के अनुच्छेद 5 के नियम 8.1 के अनुसार वातानुकुलित मषीन/उपकरण को खरीदने हेतु निधि के प्रषासक (Administrator) की पूर्वानुमति लेना आवष्यक है। जाँच में पाया गया कि माह 7/2009 में उपयोक्ता प्रभार निधि खाते से ₹46520/– का व्यय किया गया जिसमें से निम्नलिखित विवरणानुसार ₹24000/– का भुगतान मै0 वषिष्ट इलैक्ट्रोनिक्स एण्ड इलैक्ट्रिकल वर्कस हमीरपुर को वातानुकुलित मषीन (AC) खरीदने हेतु किया गया, परन्तु इस सन्दर्भ में सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति नहीं ली गई थी। इसके अतिरिक्त (आर0 एल0 ए0) भोरन्ज के आहरण एवं अधिकारी द्वारा उक्त निधि से ₹20000/– प्रतिमाह अधिक खर्च हेतु निहीत षक्तियों से अधिक व्यय करने बारे भी सोसाईटी की बैठक में प्रस्ताव पारित करके सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति नहीं ली गई जिस का औचित्य ई–गर्वनैंस सोसाईटी हमीरपुर द्वारा बनाए गये वित्तीय नियमों के अन्तर्गत स्पष्ट किया जाए। अतः अब इस प्रकरण में प्रषासक की स्वीकृति के अतिरिक्त प्रदत्त वित्तीय षक्तियों से अधिक कृत अनियमित व्यय करने हेतु भी सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति लेकर इस व्यय नियमित करवाया जाए तथा अनुपालना की पुष्टि आगामी अंकेक्षण पर करवाई जानी सुनिष्चित करें।

fcy l0	fnukd	[kjhn x; lkeku dk fooj.k	ek=k	nj	jkf'k
1608	15.7.09	Split AC I ton Capacity, Bluestar Make	1	21000	21000

1609	15.7.09	Automatic Vottage stabliser for AC Blue Bird Make	1	2500	2500
1610	15.7.09	AC Bracket for outdoor Unit	1	500	500
				Total	₹24000

¼ii½ ई–गवर्नैस निधि के नियम 9.1 के अनुसार स्टोर/स्टॉक के रख–रखाव हेतु का प्रावधान किया गया है परन्तु उपरोक्त खरीदे गये उपकरण का भण्डार में इन्द्राज करने से सम्बन्धित कोई अभिलेख अंकेक्षण पर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही इस बारे कोई उल्लेख भुगतान हेतु पारित बिलों/वाऊचरों पर किया गया है। यह एक गम्भीर अनियमितता है। अतः नियमानुसार उक्त सामान का भण्डार में इन्द्राज किया जाना सुनिष्चित किया जाए तथा अनुपालना अगले अंकेक्षण पर दिखाई जाए।

6 mi&e.Mykf/kdkjh ¼uk0½ d dk;ky; dh 20 dqfl;k dh ejEer gsrq ₹15200@& dk vuqfpr O;; djuk&

माह 2/2014 में दिनाँक 28.2.2014 को ₹15200/– का भुगतान मै0 सहगल फर्नीचर भरेड़ी जिला हमीरपुर को उनके बिल संख्या 141 दिनाँक 28.2.2014 के अन्तर्गत से उप–मण्डलाधिकारी (ना0) भोरन्ज के कार्यालय की 20 कुर्सियों की मुरम्मत करवाने हेतु ₹760/– प्रति कुर्सी की दर से किया गया जोकि ई–गवर्नैंस सोसईटी हमीरपुर द्वारा बनाए गये निधि नियमों के नियम 5 में दर्षाई गई मदों से सम्बन्धित न होने के कारण इस निधि पर उचित प्रभार प्रतीत नहीं होता है। अतः इस व्यय का औचित्य ई–गवर्नैन्स सोसाईटी के संचालन हेतु बनाये गये नियमों के अन्तर्गत स्पष्ट किया जाए अन्यथा इस व्यय की सम्पूर्ण राषि की प्रतिपूर्ति उचित स्त्रोत से करके अपेक्षित राषि उपयोक्ता प्रभार निधि के खाते में जमा करवाकर अनुपालना की पुष्टि आगामी अंकेक्षण पर करवाई जाए।

7 okgu pkyd dh vLFkkbZ fu;qfDr ij osru d :i e ₹69200@& dk vuqfpr Hkqxrku djuk&

ई–गवर्नैस निधि नियमों के अनुच्छेद–5 के नियम 5 के उपभागों में इस निधि से किये जाने वाले व्ययों के वर्गीकरण के अनुसार वाहन चालक के वेतन पर व्यय करना इस निधि पर उचित प्रभार नहीं है जबकि दिनाँक 29.12.2008 को उप–मण्डलाधिकारी (ना0) भोरन्ज की अध्यक्षता में बुलाई गई बैठक की कार्रवाई समीक्षा तथा उपायुक्त एवं प्रषासक ई–गवर्नैस सोसाईटी हमीरपुर द्वारा उन के पत्र संख्या DCH (Estt.)/2008-2589 के अवलोकन करने पर पाया गया कि उप–मण्डलाधिकारी (ना0) कार्यालय भोरन्ज में वाहन चालक के रिक्त पद को

भरने के लिए श्री अष्वनी कुमार पुत्र श्री अमर सिंह, गाँव सपलूही तहसील भोरन्ज जिला हमीरपुर को ₹100 / – प्रतिदिन की दर से नियुक्ति दी गई तथा उक्त कर्मचारी ने दिनाँक 1.1.2009 को कार्यग्रहण किया। तदानुसार उक्त वाहन चालक को अतः ई–गवर्नेंस सोसाईटी के संचालन हेतु बनाये गये नियमों के विपरीत निम्न विवरणानुसार वेतन के रूप में ₹69200 / – का भुगतान किया गया जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अनुचित रूप से किये गये भुगतान की प्रतिपूर्ति उचित स्त्रोत से करके तथा अपेक्षित राषि ई–गवर्नेंस उपयोक्ता प्रभार निधि खाते में जमा करवाकर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

ekl	pd l0	fnukd	jkf'k
जनवरी व फरवरी 2009	280131	19.3.2009	5900
मार्च व अप्रैल 2009	280138	11.5.2009	6100
5 / 2009	280143	1.6.2009	3100
6 / 2009	280146	1.7.2009	3000
7 / 2009	503705	21.8.2009	3100
8 / 2009	503710	4.9.2009	3100
9 / 2009	503713	3.10.2009	3000
10 / 2009	503718	11.10.2009	3100
11 / 2009	503722	4.12.2009	3000
12 / 2009	503725	4.1.2010	3100
1 / 2010	503728	3.2.2010	3100
2 / 2010	503733	8.3.2010	2800
3 / 2010	503737	2.4.2010	3100
4 / 2010	503739	5.5.2010	3000
5 / 2010	503745	2.6.2010	3100
6 / 2010	503747	3.7.2010	3000
7 / 2010	503750	3.8.2010	3100
8 / 2010	503754	6.9.2010	3100
9 / 2010	503757	4.10.2010	3000
10 / 2010	503761	3.11.2010	3100
11 / 2010	503766	2.12.2010	2300
		;kx	₹69200

8 mi e.Mykf/kdkjh ¼uk0½ dk fgik Vfuax vof/k d nkjku Hkh ₹1800@& d fu;r ¼Fixed½ ekckby pkftt dk Hkxrku dju ckj&

श्री यषपाल सिंह वर्मा, (आर0 एल0 ए0) भोरन्ज को उनके तीन माह की हिपा ट्रेनिंग पर दौरान भी ₹600/– प्रतिमाह की दर से ₹1800/– बतौर नियत (Fixed) मोबाईल चार्जिज का भुगतान चैक संख्या 503784, दिनाँक 24.5.11 के अन्तर्गत किया गया दर्षाया गया है जोकि नियमानुसार देय नहीं था। प्राधिकरण द्वारा इस सन्दर्भ में सम्पूर्ण सूचनाऐं अंकेक्षण पर प्रस्तुत न किये जाने के परिणामस्वरूप यह सुनिष्चित नहीं किया जा सका कि उप–मण्डलाधिकारी भोरन्ज की हिपा ट्रेनिंग के दौरान (आर0 एल0 ए0) भारेन्ज का कार्यभार किसी अन्य पदाधिकारी को सौंपा था अथवा नहीं। अतः उप–मण्डलाधिकारी के ट्रेनिंग के दौरान उक्त अवधि हेतु भुगतान किये गये नियत (Fixed) मोबाईल चार्जि की ₹1800/– की प्रतिपूर्ति उचित स्त्रोत से की जानी सुनिष्चित की जाए तथा कृत कार्रवाई की अनुपालना आगामी अंकेक्षण पर दिखाई जाए।

9 fctyh d fcy dh okLrfod [kir u n'kkdj vkSlru vk/kkj ij ₹15902 dk Hkxrku djuk&

माह 2/2009 में वाऊचर संख्या षून्य दिनाँक 24.2.2009 द्वारा सहायक अभियन्ता, हिमाचल प्रदेष राज्य विद्युत निगम, भोरन्ज को उनके बिल संख्या 957381 के अन्तर्गत मीटर संख्या TXC-145 के अन्तर्गत बिजली के बिल की ₹15902/– का भुगतान चैक संख्या 280129 के माध्यम से किया गया। उक्त व्यय से सम्बन्धित अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि उपरोक्त बिल में विद्युत युनिटों की वास्तविक खपत न दर्षाकर औसतन आधार पर बिल का भुगतान किया गया था तथा प्राधिकरण द्वारा बिजली बिल का भुगतान करने से पूर्व हिमाचल प्रदेष विद्युत निगम से कोई पत्राचार न करके यथावत बिल की अदायगी की गई। अतः बिजली के बिलों का भुगतान औसतन आधार पर करने की अपेक्षा वास्तविक खपत के आधार पर किया जाना सुनिष्चित किया जाए तथा बिजली बिलों से सम्बन्धित रजिस्टर लगाकर उस में प्रत्येक बिल के अन्तर्गत बिजली की वास्तविक खपत/युनिटों का लेखा जोखा भी रखा जाए। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेष वित्तीय नियम 1971 के नियम 2.21 के अन्तर्गत उक्त बिल सक्षम प्राधिकारी द्वारा भुगतान हेतु पारित किया जाना अपेक्षित था जोकि नहीं किया गया। अतः नियमों में प्रावधान के अन्तर्गत बिल पारित न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा इस सन्दर्भ में अब अपेक्षित कार्रवाई करके अनुपालना की पुष्टि अगले अंकेक्षण पर करवाई जानी सुनिष्चित की जाए।

10 i`lfVt dVYy [kjhnu grq ₹1300@& dk vufpr Hkxrku dju ckj&

माह 4/2013 में उपयोक्ता प्रभार निधि से किये गये व्यय के भुगतान वाऊचरों की जाँच करने पर पाया गया कि मै0 ज्योति इन्ट्रप्राईज़िज़ अप्पर बाजार हमीरपुर को उन के बिल संख्याः 4100 दिनाँक 17.4.2013 के अन्तर्गत 1 नं0 प्रैसटिज कैटल्ल खरीदने हेतु ₹1300/– का भुगतान किया गया, जोकि ई–गवर्नैंस के संचालन हेतु बनाए गये निधि नियमों के अनुसार निधि पर उचित प्रभार नहीं था। अतः नियमों के विपरीत किये गये व्यय का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अनुचित रूप से किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति उचित स्त्रोत से करके ई–गवर्नैंस उपयोक्ता प्रभार निधि खाते में जमा करवाकर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

11 ;k=k HkÙkk nkok d :i e ₹212@&d vufpr Hkxrku dju d vfrfjDr ₹90@& dk vf/kd Hkxrku djuk&

¼i½ श्री विरेन्द्र सिंह डाटा ऐन्ट्री ऑपरेटर को चैक संख्या 817349 दिनाँक 22.2.2013 द्वारा यात्रा भत्ता का ₹848/– का भुगतान किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि उपरोक्त कर्मचारी की तैनाती दिनाँक 19.12.2012 व 20.12.2012 को विधानसभा चुनावों के सन्दर्भ में बतौर Counting Agent हमीरपुर में की गई थी जिसके लिए दो दिनों के दैनिक भत्ते/यात्रा इत्यादि के रूप में ₹212/– का भुगतान ई–गवर्नैंस निधि के उपयोक्ता प्रभार खाते से किया गया, जबकि उपरोक्त अवधि के यात्रा दावे का भुगतान नियमानुसार निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाना अपेक्षित था। अतः इस सन्दर्भ में निर्वाचन आयोग से आवष्यक पत्राचार करके इस राषि की प्रतिपूर्ति करने हेतु अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाए तथा कृत अनुपालना से अगले अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

¼ii½ इसके अतिरिक्त उक्त कर्मचारी का प्रवास के दौरान दैनिक भत्ता ₹50/–निर्धारित किया गया था तथा निम्नलिखित तिथियों को कर्मचारी का ठहराव मुख्यालय से बाहर 6 घण्टे से ज्यादा व 12 घण्टे से कम होने पर उन्हें नियमानुसार दैनिक भत्ते का 70% भाग देय था, जबकि उनको पूरे दैनिक भत्ते की अदायगी करने के परिणामस्वरूप ₹90/–का अधिक भुगतान किया गया जिस का औचित्य नियमानुसार स्पष्ट किया जाए तथा इस राषि की वसूली उचित स्त्रोत से करके उपयोक्ता प्रभार निधि खाते में जमा करवाकर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

fnukad	xr0; LFkku o okilh	e[;ky; ls ckgj iokl ij jgus dk le;	nSfud HkÙks dh nj	ns; HkÙkk 70%	vf/kd Hkqxrku
25.8.12	भोरन्ज से हमीरपुर व वापिस भोरन्ज	8:15 AM to 6:10PM	50	35	15
12.9.12	–यथोपरि–	9:30 AM to5:15PM	50	35	15
18.9.12	–यथोपरि–	9:40 AM to 6:10PM	50	35	15
24.9.12	–यथोपरि–	9:40 AM to 6:10PM	50	35	15
4.12.12	–यथोपरि–	9 AM to 6:30PM	50	35	15
12.12.12	–यथोपरि–	9:15 AM to 6 PM	50	35	15
				;ksx	₹90

12 mi;kDrk iHkkj fuf/k ls Ø; dh xbZ rFkk bZ&xousZal dsUnzh; bZdkbZ gehjiqj ls izkIr dh xbZ LVksj@LVkWd dh enksa dk =qfViw.kZ j[k&j[kko djukA&

ई–गवर्नैंस निधि नियमों के अनुच्छेद 5 में नियम 9.2 के अनुसार उपभोज्य (Consumable) व अनुपभोज्य (Non-Consumable) स्टोर/स्टॉक के लेखाँकन हेतु विहित प्रपत्र पर लेखें तैयार किए जाने अपेक्षित थे। प्राधिकरण द्वारा उपयोक्ता प्रभार निधि खाते से क्रय की गई तथा ई–गवर्नैस केन्द्रीय ईकाई हमीरपुर से प्राप्त की गई स्टोर/स्टॉक की मदों के रख–रखाव हेतु लगाए गये रजिस्टरों की जाँच करने पर पाया गया कि उपभोज्य व अनुपभोज्य (Consumable and Non- Consumable) प्रकृति वाली मदों का रख–रखाव अलग–अलग रजिस्टरो पर पृथक–पृथक पृष्ठों पर न करके मिश्रित रूप से किये गये हैं, जो नियमानुसार उचित नहीं है। उदाहरणतः प्राधिकरण द्वारा माह 7/2009 में वाऊचर संख्याः षून्य दिनाँक 20.7.2009 द्वारा मै0 धीरज आयरन एण्ड स्टील इन्स्ट्रीज लदरौर जिला हमीरपुर को उनके बिल संख्या 2014 दिनाँक 20.7.2009 के अन्तर्गत 5 स्टील बैंच के क्रय हेतु ₹16120/– का भुगतान किया गया जिससे सम्बन्धित स्टोर/स्टॉक रजिस्टरों की जाँच करने पर पाया गया कि उक्त क्रय किये गये सामान का इन्द्राज सम्पत्ति रजिस्टर (Assets) के पृष्ठ संख्या 5 क्रम संख्या 25 पर अन्य उपभोज्य व अनुभोज्य (Cosumable and Non-Consumable) मदों के साथ बिलवार किया गया, जोकि ई–गवर्नैंस हमीरपुर (E-Goverance Fund Rules) के अनुच्छेद 5 के अन्तर्गत बनाए गये नियम 9 के अनुभागों में स्टोर/स्टॉक के रख–रखाव हेतु किये गये प्रावधान के विपरीत है। इस प्रकार की अनियमितताओं के चलते वर्तमान में स्टोर/स्टॉक

रजिस्टरों के अवलोकन से यह सुनिष्चित नहीं किया जा सका कि स्टोर/स्टॉक में किसी वस्तु विषेष की कितनी मात्रा उपलब्ध थी। अतः अनुपालना हेतु सुझाव दिया जाता है कि उपभोज्य (Consumable) व अनुपभोज्य (Non-Consumable) मदों हेतु अलग–2 रजिस्टर लगाकर विभिन्न प्रकृति वाली मदों का इन्द्राज अलग–2 पृष्ठों पर किया जाना सुनिष्चित किया जाए ताकि किसी निष्चित समय पर स्टोर/स्टॉक के अवलोकन से यह सुनिष्चित किया जा सके कि किस वस्तु की कितनी मात्रा स्टोर/स्टॉक में विद्यमान है। इसके अतिरिक्त स्टोर/स्टॉक में जारी की गई मदों का भी नियमानुसार रख–रखाव किया जाए।

13 LVkj@LVkWd dk iR;{k lR;kiu u djokus ckjs&

हिमाचल प्रदेष वित्तीय नियम 2009 के नियम 140 व ई–गवर्नैन्स सोसाईटी के संचालन हेतु बनाए गये ई–गवर्नैंस निधि नियमों के अनुच्छेद 5 के नियम 9.4 के अनुसार स्टोर/स्टॉक की मदों का प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार प्रत्यक्ष सत्यापन करवाया जाना अपेक्षित था, परन्तु पंजीकरण एवं लाईसैसिंग प्राधिकरण भोरन्ज द्वारा उपयोक्ता प्रभार निधियों से क्रय की गई तथा ई–गवर्नैंस केन्द्रीय ईकाई हमीरपुर से प्राप्त की गई स्टोर/स्टॉक के रख–रखाव सम्बन्धित अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि प्राधिकरण द्वारा अंकेक्षण अवधि 8.1.2008 से 31.3.2014 के दौरान स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं करवाया गया। अतः उपरोक्त नियमों के अन्तर्गत स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न करवाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना सुनिष्चित किया जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

14 y?kq vkifÙk foojf.kdk& यह अलग से जारी नहीं की गई।

15 fu"d"kZ& लेखाओं के रख–रखाव में अत्याधिक सुधार एवं कड़े आन्तरिक निरीक्षण की आवष्यकता है।

उप निदेषक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेष, षिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(2)(सी)(15)(xii)(12)/2014 खण्ड–1 दिनांक, षिमला–171009
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. उप–मण्डल अधिकारी (ना0) एवं सचिव ई–गवर्नैंस सोसाईटी (आर0 एल0 ए0) भोरन्ज, जिला हमीरपुर हिमाचल प्रदेष को इस आषय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करवाकर सटिप्पण उत्तर एक माह के भीतर इस विभाग को भेजना सुनिष्चित करें।
2. जिलाधीष एवं अध्यक्ष ई–गवर्नैंस सोसाईटी हमीरपुर हि0प्र0
3. निदेषक, परिवहन विभाग हि0प्र0 षिमला–171004

4. अवर सचिव (परिवहन) हि0प्र0 षिमला–171002

5. श्री अजीत सिंह, अनुभाग अधिकारी द्वारा............................

उप निदेषक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेष, षिमला–171009